

उपायुक्त - सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो

अनुसूची - फारम संख्या - 562

नन्द दुलाल भट्टाचार्य

आदेश-पत्रक

बनाम

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

ब्रज राम सिंह चौधरी एवं अन्य

आदेश पत्रक ता. 26/08/2022 से

तक

जिला बोकारो

संख्या 49/2022-23

सन 2022

केस का प्रकार विविध वाद (निबंधन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26/08/2022	श्री नन्द दुलाल भट्टाचार्य पिता स्व० संतोष भट्टाचार्य पता- P 180 C.I.T Road, Scheme VI M 4th Floor, Kankur Gachi Kolkatta-700054 के द्वारा 1. श्री गया राम सिंह चौधरी पिता स्व० हीरालाल सिंह सा०-काण्डा, पो०-कुरा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो 02. सुभाष चन्द्र राउत पिता श्री राम राउत 03. श्री राम राउत पिता तारापद राउत, दोनों पता सा०+पो०-भोजूडीह, थाना-चन्दनकियारी, जिला बोकारो के विरुद्ध निबंधन अधिनियम की धारा-82 एवं 83 के अन्तर्गत (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र सं०-सं.रा.15/नि. (विविध) जन आवेदन-04/16, 930/राँची, दिनांक-21.09.2016 के क्रम में) केवाला दस्तावेज सं०-3618, जो दिनांक-22.07.2022 को अवस निबंधन कार्यालय, चास में निष्पादित है, को निरस्त करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें। प्रभाषी पदाधिकारी आवेदक से शोर से कमलान राजीव है इनके विरुद्ध अधिवक्ता को सुना गया। G.P से विविध प्रत्यक्ष की जाँच की। Put up on 30/09/2022	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी
30/09/2022	विडान G.P. का विधिक मंत्रम् प्राप्त है आवेदक अनुपस्थित के दौरान पुकार पर अनुपस्थित। Rit up on 18/10/2022	
18/10/2022	आवेदक अनुपस्थित। जी हासन पदो अन्य कार्य में छात्र है तो 01/11/2022	
01/11/2022	आवेदक अनुपस्थित। जी हासन पदो अन्य कार्य में छात्र है तो 25/11/2022	
25/11/2022	आवेदक अनुपस्थित। G.P. में ड्राए दिया गया विधिक मंत्रम् का अवलोकन किया गया है। यह कद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन पर कोई खर्ज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जा रही है। लेखकपित एवं संग्रहीत।	

उपायुक्त-सह-जिला दण्डा
बोकाचो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डा
बोकाचो।